(20)

नि०प्र० 5674/2018/सतना/भू-रा०

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर कैम्प रीवा, जिला– रीवा म. प्र.

अधि० श्री जयपाल सोंधिया
द्वारा पेश। 17.9.18

1– मुन्नालाल सराफ तनय मोतीलाल सराफ उम्र 65 वर्ष ,
2– नारेन्द्र सराफ तनय मोतीलाल सराफ उम्र 50 साल,
दोनों निवासी कटरा बाजार वार्ड कमांक मैहर तह. मैहर, जिला– सतना म.प्र. ——निगरानीर्कागण

बनाम

1– शासन म.प्र.
2– जवाहरलाल (मृतक) वारिसानगण :–
क– श्रीमती रामदुलारी पत्नी जवाहरलाल सराफ उम्र 65 वर्ष (फौत)
ख– आशा सराफ पुत्री स्व. जवाहरलाल सराफ उम्र 25 साल
3– सुरेन्द्र सराफ तनय राजेन्द्र सराफ उम्र वर्ष
4– पुष्पेन्द्र सराफ तनय राजेन्द्र सराफ उम्र वर्ष
5– कुसुम सराफ पत्नी कन्हैयालाल उर्फ कंधीलाल सराफ
6– देवेन्द्र कुमार पाण्डेय तनय रामसुजान पाण्डेय, सा. अरकंडी, तह. मैहर, जिला– सतना म.प्र.

——गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध श्रीमान कमिश्नर महोदय रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्र. क. 3/51/121 /अभ्यावेदन /14–15 आदेश दिनांक 7.6.2018 के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू– रा. सं. 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी कर्तागण की ओर से निम्नलिखित बिन्दुओं पर निगरानी प्रस्तु है, जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि कटरा बाजार मैहर में स्थित नजूल शीट कमांक 22 बी, भूखण्ड कमांक 278 रकबा 2820 वर्गफिट पर निर्मित मकान कमांक 319/15 को निगरानीकर्तागण के पिता मोतीलाल सराफ ने, सन 1962में अपने छोटे भाई जवाहरलाल सराफ के नाम से कय किया था, उस समय जवाहर लाल की

M. L. Saraf

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0–5674 / 2018 / सतना / भू–रा0 जिला–सतना

मुन्नालाल सराफ / शासन, जवाहरलाल वगैरः

(1)	(2)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री जयलाल सोंधिया अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 03 / 51 / 121 / अभ्यावेदन / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 17.09.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य